



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22831

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3627/2026

दूध नाथ

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 7 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता: शेर बहादुर यादव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

- वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा मांगी गई राहत प्रत्यर्थी संख्या 2, 3 एवं 4 को उत्प्रेषण (सर्टियोरारी) की प्रकृति में यह निर्देश देना है कि ग्राम मोहब्बतपुर, जीता, परगना कड़ा, तहसील सिराथू, जनपद- कौशाम्बी में स्थित राजस्व अभिलेख खतौनी के खाद-का-गड्ढा, खसरा संख्या 136, खाता/खतौनी संख्या 00142, क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर पर बने प्रत्यर्थी संख्या 5, 6, 7 एवं 8 के मकान को ध्वस्त किया जाए तथा प्रत्यर्थी संख्या 5, 6, 7 एवं 8 को दंडित किया जाए।
- याची एक शिकायतकर्ता है जिसने दिनांक 19.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 2, अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट, कौशाम्बी के समक्ष एक शिकायत की थी। यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि उक्त शिकायत में निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही शुरू की गई थी, लेकिन आज तक प्रत्यर्थी संख्या 2 ने खसरा संख्या 136, क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर पर स्थित खाद का गड्ढा पर निर्मित निजी प्रत्यर्थी संख्या 5, 6, 7 और 8 के मकान को ध्वस्त नहीं किया है।
- अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन से यह पता चलता है कि याची निजी प्रत्यर्थियों के विरुद्ध राहत की मांग कर रहा है।
- अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याची निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 से 8 के विरुद्ध राहत मांग रहा है।
- एक व्यथित पक्ष के पक्ष में अधिकार का अस्तित्व रिट याचिका बनाए रखने के लिए 'लोकस स्टैंडार्ड' (वाद लाने का अधिकार) प्रदान करता है, जैसा कि विनय कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (2001) 4 एससीसी 734 में निर्धारित किया गया है: —

"2. सामान्य तौर पर, किसी व्यक्ति के पास रिट याचिका दायर करने का कोई लोकस स्टैंडार्ड नहीं होगा यदि वह आक्षेपित आदेश से व्यक्तिगत रूप से प्रभावित नहीं है या उसके मौलिक अधिकारों पर न तो प्रत्यक्ष या पर्याप्त रूप से आक्रमण हुआ है और न ही ऐसे अधिकारों पर आक्रमण का कोई आसन्न खतरा है या लागू नियमों की अनदेखी करते हुए उसके अर्जित हितों

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



का उल्लंघन किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत राहत क्षेत्राधिकार का आह्वान करने वाले व्यक्ति के पक्ष में अधिकार के अस्तित्व पर आधारित है। सामान्य नियम का अपवाद केवल उन मामलों में है जहाँ मांगी गई रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार-पृच्छा की रिट है या जनहित में दायर की गई है। यह विवेक का मामला है कि न्यायालय रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग को उन मामलों तक सीमित रखता है जहाँ किसी विशेष व्यक्ति को कानूनी क्षति या कानूनी चोट पहुँचती है या उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, न कि किसी तीसरे पक्ष के कहने पर व्यक्तिगत क्षति या चोट के मामलों पर विचार करना जहाँ एक प्रभावी कानूनी सहायता संगठन है जो ऐसे मामलों की देखभाल कर सकता है। जनहित में दायर मामलों में भी, न्यायालय किसी तीसरे पक्ष के कहने पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग तभी कर सकता है जब यह दिखाया जाए कि कानूनी क्षति या कानूनी चोट या अवैध बोझ का खतरा है और ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निर्धारित वर्ग, गरीबी, लाचारी या विकलांगता या सामाजिक या आर्थिक रूप से प्रतिकूल स्थिति के कारण राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाने में असमर्थ है।"

6. इसी प्रकार अयाउबखान नूरखान पठान बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2013) 4 एससीसी 465 में, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि व्यथित पक्षों के प्रवर्तनीय अधिकारों का अस्तित्व इस न्यायालय में निहित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए पूर्व-शर्त है:-

"9. यह एक सुस्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि किसी अजनबी को किसी भी कार्यवाही में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती, जब तक कि वह प्राधिकारी/न्यायालय को संतुष्ट न कर दे कि वह व्यथित व्यक्तियों की श्रेणी में आता है। केवल वही व्यक्ति जिसने कानूनी क्षति सही है, या सह रहा है, कानून की अदालत में कार्य/कारवाई/आदेश आदि को चुनौती दे सकता है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका या तो वैधानिक या कानूनी अधिकार को लागू करने के उद्देश्य से विचारणीय है, या जब अपीलकर्ता द्वारा यह शिकायत की जाती है कि अधिकारियों की ओर से वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन हुआ है। इसलिए, प्रवर्तन के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध होना चाहिए, जिसके आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का सहारा लिया जाता है। न्यायालय, निश्चित रूप से, किसी व्यक्ति के अनुरोध पर अपने रिट क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक निकाय द्वारा वैधानिक कर्तव्य के पालन को लागू कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति न्यायालय को संतुष्ट करे कि उसके पास ऐसे पालन पर जोर देने का कानूनी अधिकार है। न्यायालयों के रिट क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए ऐसे अधिकार का अस्तित्व एक पूर्व-शर्त है। इस तरह के असाधारण क्षेत्राधिकार के प्रयोग में यह निहित है कि मांगी गई राहत कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। वास्तव में, ऐसे अधिकार का अस्तित्व ही न्यायालय द्वारा उक्त क्षेत्राधिकार के प्रयोग की नींव है। जिस कानूनी अधिकार को लागू किया जा सकता है वह सामान्यतः अपीलकर्ता का स्वयं का अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी के संबंध में राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। [देखें उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा [एआईआर 1952 एससी 12], सगीर अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [एआईआर 1954 एससी 728], कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोपराइटरी) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एआईआर 1962 एससी 1044], राजेंद्र सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(1996) 5 एससीसी 460 : एआईआर 1996 एससी 2736] और तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक शेयरहोल्डर्स वेलफेयर एसोसिएशन (2) बनाम एस.सी. सेकर [(2009) 2 एससीसी 784]]]

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10. एक "कानूनी अधिकार" का अर्थ कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाली पात्रता है। इस प्रकार, इसे कानून के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को प्रदान किए गए लाभ या फायदे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। "व्यथित व्यक्ति" अभिव्यक्ति में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है; इसलिए, व्यथित व्यक्ति अनिवार्य रूप से वह होना चाहिए जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ हो या खतरे में पड़ गया हो। (देखें शांति कुमार आर. कांजी बनाम होम इंश्योरेंस कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क [(1974) 2 एससीसी 387 : एआईआर 1974 एससी 1719] और राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ [(1977) 3 एससीसी 592 : एआईआर 1977 एससी 1361]।)
11. आनंद शरदचंद्र ओका बनाम मुंबई विश्वविद्यालय [(2008) 5 एससीसी 217 : एआईआर 2008 एससी 1289] में, इस न्यायालय द्वारा इसी तरह का विचार अपनाया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि यदि राहत का दावा करने वाला व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार पात्र नहीं है, तो उसे अन्य व्यक्तियों के चुनाव या चयन के संबंध में व्यथित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता है।"
12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार, हाजी बशीर अहमद, 1976 (1) एससीसी 671 के मामले में यह निर्धारित किया कि एक अजनबी जो व्यथित व्यक्ति नहीं है, वह न तो उत्प्रेषण और न ही परमादेश के लिए रिट दायर कर सकता है। उक्त निर्णय का प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे उद्धृत है:-

"50. जबकि एक हठधर्मी दृष्टिकोण से बचा जाना चाहिए, नियम के रूप में, न्यायालय को किसी "अजनबी" के कहने पर तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसी असाधारण परिस्थितियां न हों जिनमें न्याय की गंभीर विफलता शामिल हो जिसका जनहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो। यह मानते हुए कि अपीलकर्ता एक "अजनबी" है, न कि कोई दखल देने वाला व्यक्ति (बिजीबॉडी), तब भी वर्तमान मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं हैं जो उसके कहने पर उत्प्रेषण की रिट जारी करने को उचित ठहराती हों। इसके विपरीत, इन विवेकाधीन शक्तियों के प्रयोग का परिणाम, उसके पक्ष में, कुल मिलाकर सार्वजनिक नीति के विरुद्ध होगा। यह इस व्यवसाय में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को समाप्त कर देगा जो व्यावसायिक नैतिकता को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है; यह शहर में सिनेमा व्यवसाय के अपीलकर्ता के एकाधिकार को बनाए रखने की प्रवृत्ति रखेगा; और सबसे बढ़कर, यह वास्तव में प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 के मौलिक अधिकारों को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाएगा, जो उन्हें संविधान के अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत "कानून द्वारा लगाए गए उचित प्रतिबंधों" के अधीन व्यापार या व्यवसाय करने के लिए प्राप्त हैं।"

7. प्यारे लाल एवं अन्य बनाम उप संचालक चकबंदी मैनपुरी एवं अन्य, 2005 एएलएल. एल. जे. 1966 के मामले में पैराग्राफ-7 में यह निर्धारित किया गया है कि :-

"व्यथित शब्द का शब्दकोश अर्थ "हानि या चोट सहना" है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार व्यथित पक्ष/व्यक्ति वह है "जिसका कानूनी अधिकार शिकायत किए गए कृत्य द्वारा अतिक्रमित किया गया है, या जिसका आर्थिक हित किसी डिक्री या निर्णय द्वारा सीधे प्रभावित होता है। व्यथित शब्द का अर्थ एक पर्याप्त शिकायत, कुछ व्यक्तिगत या संपत्ति अधिकार का खंडन, या किसी पक्ष पर बोझ या दायित्व थोपना है"। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम वॉल्यूम IV 356 (प्रथम संस्करण) के अनुसार किसी पक्ष या व्यक्ति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



को किसी निर्णय से व्यथित तभी कहा जा सकता है जब वह सीधे और हानिकारक रूप से उसके व्यक्तिगत, आर्थिक या संपत्ति के अधिकारों पर कार्य करता है।”

8. मामले के इस दृष्टिकोण को देखते हुए, चूंकि याची "व्यथित व्यक्ति" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए उसकी ओर से दायर वर्तमान रिट याचिका विचारणीय नहीं है।
9. वर्तमान रिट याचिका खारिज की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

विनोद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"